बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के सभी प्रखण्डों में एक-एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया । इन प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु खुली निविदा के माध्यम से एजेंसी के चयन हेतु विभिन्न चरणों में RFP No. BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016, RFP No. BSDM/ RFP/ 08/ 2016-17 दिनांक-09.09.2016 तथा RFP No. BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ राज्य के सभी प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया तथा इसे बिहार कौशल विकास मिशन के Website-www.skillmissionbihar.org पर भी अपलोड किया गया ।

RFP संख्या- BSDM/RFP/04/2016-17 दिनांक-13.08.2016 के आधार पर Zephyr LtD. को सासाराम सदर, डेहरी-ऑन-सोन, अकोढ़ीगोला(सभी जिला रोहतास), ठाकुरगंज, बहादुरगंज, (जिला किशनगंज), सोनपुर(सारण), डुमरा, पुपरी तथा चोरौत(सभी जिला सीतामढ़ी) प्रखण्डों में स्थापित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुये उन्हें LOA निर्गत किया गया ।

पुनः RFP No.BSDM/RFP/08/2016-17 दिनांक-09.09.2016 के आधार पर एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को टेढ़ागाछ, (किशनगंज) तथा पानापुर (सारण) प्रखण्ड में निर्मित प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व देते हुए LOA निर्गत किया गया । RFP No.BSDM/RFP/10/2016-17 दिनांक-22.10.2016 के आधार पर एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को रफीगंज (औरंगाबाद), परसा (सारण), सुगौली, मेहषी, तुरकौलिया, तेतरिया, पताही (सभी जिला पूर्वी चम्पारण) तथा बाजपट्टी (सीतामढ़ी) के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन का दायित्व सौंपते हुए उन्हें LOA निर्गत किया गया । इस प्रकार एजेंसी को तीनों चरणों के RFP के आधार पर कुल 19 प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का दायित्व दिया गया ।

निर्गत LOA के आधार पर एजेंसी M/s Zephyr Ltd. के द्वारा Performance guarantee के रूप में निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट बिहार कौशल विकास मिशन के पास जमा करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया तथा मार्च, 2017 से सासाराम सदर, डेहरी, सोनपुर, अप्रैल, 2017 से अकोढ़ी गोला(रोहतास),ठाकुरगंज (किशनगंज),सुगौली तथा मेहषी(पूर्वी चम्पारण), डुमरा (सीतामढ़ी) के कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया । इसी प्रकार टेढ़ागाछ एवं बहादुरगंज (किशनगंज) तथा पुपरी (सीतामढ़ी) के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर माह मई, 2017 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । एजेंसी के द्वारा माह जुलाई में परसा (सारण), तुरकौलिया, तेतरिया एवं पताही(सभी पूर्वी चम्पारण) तथा चोरौत एवं बाजपट्टी(सीतामढ़ी) के प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया ।

उल्लेखनीय है कि राज्य के 15-25 वर्ष के, कम से कम 10वीं उत्तीर्ण युवाओं को 240 घंटे का कुशल युवा का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र तथा निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनके माध्यम से कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित है । 240 घंटे के इस प्रशिक्षण में 120 घंटे कंप्यूटर के मूलभूत

प्रशिक्षण, 80 घंटे हिन्दी एवं अंग्रेजी संवाद कौशल का प्रशिक्षण तथा 40 घंटे व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । यह प्रशिक्षण e-learning पद्धति से संचालित है, जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक दिन 4 घंटे, 2 घंटे लैब में तथा 2 घंटे क्लास रुम का प्रशिक्षण प्राप्त करना है । प्रशिक्षण केन्द्र पर एक बैच 20 प्रशिक्षणार्थियों का है तथा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को प्रत्येक केन्द्र पर 20 लैपटॉप/डेस्कटॉप (Client) कंप्यूटर लैब में तथा एक लैपटॉप/डेस्कटॉप (Client) क्लास रुम में अधिष्ठापित करना आवश्यक है । ये सभी 21 कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े होते हैं अर्थात प्रत्येक केन्द्र पर 21+1 अर्थात 22 कंप्यूटर सेट अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक है ।

एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का Section-III निम्न रुप से उद्धृत हैः– "The organization has to run the allotted BSDC by itself and any kind of sub-letting or sub-contracting or franchisee arrangement of the BSDC/s or conduct of training is strictly prohibited and impermissible under any circumstances. No joint venture or consortium or association is permissible." एजेंसी के चयन हेतु प्रकाशित RFP में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित है कि 'The successful applicant organization(AO) has to run the allotted BSDC by themselves only and the sub-letting of BSDC is strictly prohibited and will not be allowed under any circumstances. No joint venture or consortium will be permissible.'

दिनांक–19 जुलाई, 2017 को email के माध्यम से BSDC, डेहरी–ऑन–सोन(रोहतास), परसा (सारण), डुमरा (सीतामढ़ी), पुपरी (सीतामढ़ी), चोरौत (सीतामढ़ी) तथा सोनपुर(सारण) के Center Co-ordinator तथा Learning facilitator से यह सूचना प्राप्त हुई की इन केन्द्रों पर कार्यरत Center Co-ordinator तथा Learning facilitator का पारिश्रमिक भुगतान नहीं होने के कारण इन सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्य रोक दिया गया है तथा ये सभी केन्द्र बंद हैं । इस email की प्रति एक अन्य संगठन Youth Arena को भी दी गयी थी । पुनः दिनांक–20 जुलाई, 2017 को BSDC, अकोढ़ीगोला(रोहतास) से भी इसी प्रकार का एक email प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्र पर प्रशिक्षण रोक देने की बातें उल्लेखित थी तथा इन सभी email की प्रति को एक अन्य संगठन Youth Arena को भी दिया गया था ।

कुशल युवा का प्रशिक्षण e-learning पद्धति से संचालित है तथा यह Era software से संचालित है । किसी भी केन्द्र पर तीन दिनों तक प्रशिक्षण बाधित रहने पर पुनः सभी System में Era को Activate करना पड़ता है अन्यथा प्रशिक्षण बाधित रहता है । बिना बिहार कौशल विकास मिशन को सूचित किये Zephyr Ltd. को आवंटित केन्द्रों पर प्रशिक्षण बाधित होना एक गंभीर मामला होने के कारण वस्तुस्थिति की छानबीन प्रारम्भ की गयी । छानबीन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई की Zephyr Ltd. के द्वारा अपने सभी केन्द्रों को एक अन्य स्वतंत्र एजेंसी M/s Youth Arena Pvt.Ltd. को Sub-let कर दिया गया है । छानबीन के क्रम में Zephyr Ltd. तथा M/s Youth Arena Pvt.Ltd. के बीच हस्ताक्षरित एक Agreement की प्रति भी प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि Zephyr Ltd के द्वारा अपने सभी आवंटित BSDC को संचालित करने हेतु M/s Youth Arena Pvt.Ltd. नामक एक अन्य संस्था को Sub-let कर दिया गया है जो हस्ताक्षरित अनुबंध के Section-III तथा BSDM द्वारा प्रकाशित RFP के शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन था ।

बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध तथा केन्द्रों के आवंटन के लिए प्रकाशित RFP की शर्तो का उल्लंघन स्थापित होने के पश्चात बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/RFP-04/2016-17-544 दिनांक–24.07.2017 द्वारा Smt. Renu Sangwan, M/s Zephyr Ltd. के Group Director, B-13A, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) -201301 से स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में Group Director, Zephyr Ltd. के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि सितम्बर, 2016 तथा नवम्बर, 2016 में Skilling के कार्य को गति देने के उद्देश्य से उनके संगठन में डा0 अरविन्द शुक्ला तथा श्री मनीष शर्मा को नियुक्त किया गया । ये दोनों लोग पूर्व में Shri Ram New Horizons नामक संगठन से संबद्ध थे तथा Skill Training के क्षेत्र में उन्हें कार्य करने का अच्छा अनुभव था । Zephyr Ltd. के द्वारा उन्हें बिहार राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु Zephyr Ltd. को आवंटित सभी 19 BSDC के संचालन का दायित्व दिया गया । Youth Arena नाम का एक अन्य संगठन इन दोनों कर्मियों से पूर्व से परिचित था तथा इन लोगों के द्वारा हीं Youth Arena के साथ Zephyr Ltd. को आवंटित सभी 19 BSDC के संचालन हेतु Franchisee Agreement कर लिया गया, जिसकी जानकारी Zephyr Ltd. को नहीं थी । Youth Arena के साथ हस्ताक्षरित Franchisee Agreement पर श्री मनीष शर्मा का हस्ताक्षर है, जो सीधे डा0 अरविन्द शुक्ला को रिपोर्ट करते थे तथा इसकी कोई सूचना उनके द्वारा Zephyr Ltd. को नहीं दी गयी । Group Director, Zephyr Ltd. के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि जब उनके संगठन को इस प्रोजेक्ट के Sub-letting की जानकारी हुई तो उनके संगठन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डा0 अरविन्द शुक्ला तथा श्री मनीष शर्मा को Zephyr Ltd. से त्याग–पत्र देने का आदेश दिया गया, क्योंकि Zephyr Ltd. किसी भी परियोजना को Franchisee Agreement के तहत संचालित करने का विरोधी है ।

Zephyr Ltd. के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह कहा गया कि उनके संगठन के द्वारा Youth Arena Pvt.Ltd. को उनके सारे केन्द्रों के Setup तथा आधारभूत आवश्यकताओं को Zephyr Ltd. को बिक्री करने का अनुरोध किया गया । Youth Arena Pvt.Ltd. को उन केन्द्रों पर कार्यरत सभी कर्मियों को भी Zephyr Ltd के Payroll पर रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा Zephyr Ltd. को परेशान किया जाने लगा तथा उन्हें स्वयं से अपने केन्द्रों के संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गयी । यहाँ तक की Youth Arena Pvt.Ltd. के द्वारा परेशान किये जाने के नियत से Zephyr Ltd. के State Manager तथा Programme Co-ordinator के विरूद्ध चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गयी तथा उन्हें काली सूची में दर्ज करा देने की धमकी दी गयी ।

Zephyr Ltd. के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि वे पिछले 15 वर्षो से बिहार राज्य में कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के साथ संबद्ध हैं तथा उन्होंने कभी भी किसी Agreement या समझौता पत्र का उल्लंघन नहीं किया है । उन्होंने राज्य में 3 ICONIC Skill Center की स्थापना की है । वर्तमान में वे बिहार राज्य में 5 प्रधान मंत्री कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं । ये सभी केन्द्र उनके संगठन के द्वारा स्वयं संचालित है तथा सभी में उच्च स्तर एवं गुणवत्ता के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अपने स्पष्टीकरण में Zephyr Ltd. के द्वारा Sub-letting या Franchisee mode का विरोधी होने का उल्लेख करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन से वर्तमान मामले में अपने संगठन के साथ आवंटित सभी केन्द्रों को Franchisee Agency Youth Arena Pvt.Ltd. से वापस दिलाने का अनुरोध किया गया तथा यह कहा गया कि उनके संगठन को कुशल युवा कार्यक्रम सदृश्य महत्वाकांक्षी योजना को Sub-let कर दिये जाने की जानकारी नहीं थी तथा इनके लिए खेद प्रकट किया गया । स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह कहा गया कि अपने संगठन के वरीय पदाधिकारियों पर विश्वास करना उनके संगठन की भूल थी तथा अब वे कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन से सीधे रूप से जुड़ना चाहते हैं । उनके द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम को सीधे अपने स्तर से राज्य में संचालित किये जाने का आश्वासन देते हुए इस कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया ।

Group Director,Zephyr Ltd. के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह कहना कि उन्होंने कभी भी किसी MOU या Contract document का उल्लंघन नहीं किया है, स्वीकार करने योग्य नहीं है । Zephyr Ltd. के द्वारा स्पष्ट रूप से बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Section-III का उल्लंघन करते हुए Franchisee mode में कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु एक नयी एजेंसी Youth Arena Pvt. Ltd. के साथ एक नया समझौता पत्र हस्ताक्षर कर लिया गया। उनके द्वारा यह कहना कि Zephyr Ltd. को इस परियोजना को Sub-let किये जाने की जानकारी नहीं थी, भी स्वीकार करने योग्य नहीं है । बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा Invoice generate होने के पश्चात राशि का भुगतान M/s Zephyr Ltd. के बैंक एकाउंट में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाता था, जिसके कुछ प्रतिशत को उनके द्वारा Franchisee agency M/s Youth Arena Pvt.Ltd. को भुगतान किया जाता था । जब भुगतान को लेकर दोनों एजेंसियों के बीच विवाद हुआ तो निश्चित रूप से Zephyr Ltd. को इस कार्यक्रम को Franchisee mode में संचालित होने की जानकारी प्राप्त हो गयी होगी, लेकिन Zephyr Ltd. के द्वारा इस संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी । जब विभिन्न केन्द्रों के Co-ordinators के द्वारा केन्द्र को बंद करने के पश्चात email के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन को सूचना दी गयी तथा जब बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्राप्त email के आधार पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया तब उनके द्वारा यह कहना कि उन्हें इस कार्यक्रम को Franchisee mode में चलाये जाने की जानकारी नहीं थी तथा इसके लिए अपने हीं संगठन के दो अन्य पदाधिकारियों पर दोषारोपण कर देना किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य नहीं है ।

किसी भी केन्द्र को स्थापित करने हेतु 22 Computer System के अतिरिक्त Genset/Projector/Biometric system आदि का केन्द्र पर अधिष्ठापित होना आवश्यक है । इन सभी आवश्यक वस्तुओं के क्रय पर राशि का व्यय होता है । छानबीन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि इन सभी केन्द्रों को स्थापित करने हेतु राशि का व्यय Franchisee agency M/s Youth Arena Pvt. Ltd. के द्वारा किया गया है । यदि केन्द्रों को स्थापित करने में M/s Zephyr Ltd. की राशि व्यय नहीं हुई तथा केन्द्र संचालित हो गया तथा इससे होने वाला आय M/s Zephyr Ltd. को प्राप्त होना शुरु हो गया तो यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि इन केन्द्रों को Sub-let कर दिया गया है तथा इन सभी कार्यकलाप के बाद भी M/s Zephyr Ltd. के द्वारा यह कहना कि उन्हें इन केन्द्रों के Sub-letting की जानकारी नहीं थी, हास्यास्पद प्रतीत होता है ।

M/s Zephyr Ltd. से प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है तथा किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार करने योग्य नहीं है । अतः उनके संगठन के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Section-III का उल्लंघन करने, प्रकाशित RFP की शर्तो का उल्लंघन करने तथा निर्गत LOA की शर्तो का उल्लंघन करने के आरोप में M/s Zephyr Ltd. के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को रद्द किया जाता है, साथ हीं उनके द्वारा सभी 19 केन्द्रों के संचालन के लिए जमा किये गये Performance guarantee की राशि को जब्त किया जाता है । विभिन्न केन्द्रों के संचालन की स्थिति के समीक्षोपरान्त निम्न आदेश निर्गत किया जाता है:-

1.रफीगंज(औरंगाबाद) तथा पानापुर(सारण) के प्रशिक्षण केन्द्र का अनुमोदन के पश्चात एजेंसी M/s Zephyr Ltd. द्वारा संचालन प्रारंभ नहीं किया।अतः रफीगंज(औरंगाबाद) तथा पानापुर(सारण) BSDC के आवंटन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है ।

2. एजेंसी M/s Zephyr Ltd. के द्वारा बहादुरगंज (किशनगंज) BSDC में मई बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों का तथा जून बैच में 15 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया गया, लेकिन इस केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु एक दिन भी Era का Login किसी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा नहीं किया गया । इस प्रकार इस केन्द्र पर पोर्टल के अनुसार वास्तविक प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं हुअ। अतः बहादुरगंज(किशनगंज) के आवंटन को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है । बहादुरगंज केन्द्र पर नामांकित सभी प्रशिक्षणार्थियों को विमुक्त करते हुए उनके द्वारा सुरक्षित जमा के रूप में जमा की गयी राशि को उनके खाते में वापस करने का आदेश दिया जाता है ताकि वे अपनी सुविधानुसार किसी अन्य केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु नामांकन करा सकें ।

3. परसा(सारण) BSDC पर माह जुलाई, 2017 के बैच हेतु 20 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया गया, लेकिन इस केन्द्र पर भी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा एक दिन भी Era का Login नहीं किया गया जो यह प्रमाणित करता है कि परसा(सारण) केन्द्र पर एक दिन भी वास्तविक प्रशिक्षण का कार्य नहीं हुआ । अतः परसा BSDC के आवंटन को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है, तथा इस केन्द्र पर नामांकित छात्रों को विमुक्त करते हुए उनके सुरक्षित जमा की राशि को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है ।

4. सासाराम सदर में जून बैच में 81 तथा जुलाई बैच में 34 छात्रों का नामांकन हुआ है । जून बैच के 81 प्रशिक्षणार्थियों में से 63 प्रशिक्षणार्थी दिनांक– 9–10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा के लिए योग्य थे, लेकिन एजेंसी के द्वारा इस केन्द्र पर दिनांक– 9–10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में योग्य प्रशिक्षणार्थियों को सम्मलित नहीं कराया गया, जो उनके मनमानेपन का परिचायक है । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को सासाराम सदर BSDC में आगे किसी भी प्रशिक्षणार्थी के नामांकन से प्रतिबंधित किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि सासाराम सदर BSDC पर जून तथा जुलाई माह में नामांकित सभी प्रशिक्षणार्थियों का, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा जो परीक्षा के लिए योग्य हो गये हैं, उन्हें अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयाेजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें । जून एवं जुलाई बैच के नामांकित सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा में सम्मलित होने के पश्चात M/s Zephyr Ltd. को इस केन्द्र के संचालन के दायित्व से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

5.डेहरी–ऑन–सोन(रोहतास) BSDC में माह जून में 20 तथा जुलाई में 40 छात्रों का नामांकन किया गया है । जून बैच के सभी 20 प्रशिक्षणार्थी माह सितम्बर 9–10 को आयोजित परीक्षा के लिए योग्य थे, लेकिन एजेंसी M/s Zephyr Ltd. के द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक–9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में सम्मलित नहीं कराया गया, जो उनके इस कार्यक्रम के प्रति उदासीनता का परिचायक है । अतः भविष्य में डेहरी–ऑन–सोन BSDC पर किसी भी प्रशिक्षणार्थी के नामांकन को प्रतिबंधित किया जाता है तथा एजेंसी को आदेश दिया जाता है कि वे डेहरी–ऑन–सोन BSDC पर माह जून तथा जुलाई में नामांकित सभी योग्य प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण को पूर्ण कराते हुए उन्हें माह अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें, अन्यथा एजेंसी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

6.अकोढ़ीगोला(रोहतास) में माह जुलाई बैच में 31 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं । M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे अकोढ़ीगोला, BSDC में नामांकित सभी 31 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को पूर्ण करते हुए उन्हें अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें, तत्पश्चात BSDC अकोढ़ीगोला का आवंटन परीक्षा समाप्ति के पश्चात रद्द माना जायेगा ।

7. ठाकुरगंज(किशनगंज) में माह जून में 20 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ है । इस 20 में से 14 प्रशिक्षणार्थी 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में सम्मलित हुए हैं । जुलाई बैच में 29 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं, जिनकी परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे जुलाई बैच में नामांकित सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित परीक्षा में सम्मलित कराने हेतु उनके प्रशिक्षण को पूर्ण करें, साथ ही जून बैच के शेष बचे प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को पूर्ण कराते

हुए इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को अक्टूबर में आयोजित परीक्षा में सम्मलित करायें । अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के पश्चात BSDC ठाकुरगंज(किशनगंज) के आवंटन को रद्द किया जाता है ।

8. टेढ़ागाछ(किशनगंज)में माह जुन में 19 तथा जुलाई में 14 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ है । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. के द्वारा जून बैच के किसी भी प्रशिक्षणार्थी को 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में सम्मलित नहीं कराया गया जो उनके मनमानेपन को परिलक्षित करता है । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे टेढ़ागाछ BSDC में नामांकित सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को माह अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में उनके प्रशिक्षण को पूर्ण कराते हुए सम्मलित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा एजेंसी के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी । जून एवं जुलाई बैच के सभी प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने तथा उनकी परीक्षा के पश्चात इस केन्द्र के आवंटन को रद्द किया जाता है ।

9. BSDC, सोनपुर(सारण) में जून में 20 तथा जुलाई में 20 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं । जून बैच के सभी 20 प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित की जा चुकी है । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे जुलाई बैच में नामांकित सभी छात्रों के प्रशिक्षण को पूर्ण कराते हुए सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित कराना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात इस केन्द्र के आवंटन को रद्द किया जाता है तथा एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को BSDC, सोनपुर के संचालन के दायित्व से मुक्त किया जाता है ।

10. BSDC, सुगौली(पूर्वी चम्पारण) में माह जून में 8 तथा जुलाई में 28 छात्रों का नामांकन हुआ है । जून बैच के 7 प्रशिक्षणार्थी दिनांक- 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में सम्मलित हुए हैं । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे जुलाई बैच में नामांकित सभी 28 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को माह सितम्बर में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को माह अक्टूबर, 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित कराना भी सुनिश्चित करें, तत्पश्चात BSDC, सुगौली के आवंटन को माह अक्टूबर की परीक्षा के पश्चात रद्द किया जाता है ।

11. BSDC, मेहषी(पूर्वी चम्पारण) में माह जून में 10 तथा जुलाई में 18 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं । जून बैच के सभी 10 प्रशिक्षणार्थी दिनांक- 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में सम्मलित हो चुके हैं । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे जुलाई बैच में नामांकित सभी 18 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को पूर्ण कराकर सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को माह अक्टूबर, 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें, तत्पश्चात इस केन्द्र के आवंटन को माह अक्टूबर की परीक्षा के पश्चात रद्द किया जाता है ।

12. तुरकौलिया, तेतरिया तथा पताही BSDC में माह जुन में कोई नामांकन नहीं है, जबकि जुलाई में क्रमशः 80-80-60 छात्र नामांकित हैं । एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे BSDC तुरकौलिया, तेतरिया तथा पताही में नामांकित सभी 80-80-60 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को माह सितम्बर में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा उन्हें माह अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें । माह अक्टूबर की परीक्षा के पश्चात तुरकौलिया, तेतरिया तथा पताही BSDC के आवंटन को रद्द किया जाता है ।

13. BSDC, डुमरा(सीतामढ़ी) में माह जून में 9 छात्र नामांकित हैं, जबकि इस केन्द्र पर माह जुलाई में 22 छात्र नामांकित हैं । इस केन्द्र का कोई भी डाटा एजेंसी के द्वारा दिनांक-11.07.2017 के पश्चात Web portal पर Upload नहीं किया गया है । पिछले दो माह से डाटा अपलोड नहीं किया जाना यह प्रमाणित करता है कि एजेंसी के द्वारा इस केन्द्र को बंद कर दिया गया है । लेकिन एजेंसी के द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में BSDC, डुमरा केन्द्र पर 9 छात्रों को परीक्षा में सम्मलित भी कराया गया है । District Skills Manager के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में BSDC, डुमरा संचालित है तथा यहाँ प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है । अतः एजेंसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे

BSDC, डुमरा पर जुलाई, 2017 तक नामांकित सभी छात्रों के प्रशिक्षण को माह सितम्बर में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा माह अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में सभी योग्य प्रशिक्षणार्थियों को सम्मलित करायें । माह अक्टूबर की परीक्षा के पश्चात BSDC, डुमरा के आवंटन को रद्द किया जाता है ।

14. BSDC, पुपरी(सीतामढ़ी) में माह जुन में 44 तथा जुलाई में 39 छात्रों का नामांकन है । इस केन्द्र का कोई भी डाटा दिनांक–18.07.2017 के पश्चात बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload नहीं किया गया है । इसी प्रकार बाजपट्टी में माह जून में शून्य तथा जुलाई में 26 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया गया है । इस केन्द्र का कोई भी डाटा दिनांक–08.08.2017 के पश्चात Web portal पर Upload नहीं किया गया है । District Skills Manager सीतामढ़ी के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि BSDC, पुपरी गत 53 दिनों से तथा BSDC, बाजपट्टी गत 46 दिनों से बंद है तथा यहाँ प्रशिक्षण कार्य बाधित है । अतः इन दोनों केन्द्रों के आवंटन को रद्द करते हुए BSDC, पुपरी तथा BSDC, बाजपट्टी पर नामांकित सभी छात्रों को मुक्त किया जाता है ताकि वे नये सिरे से किसी अन्य कुशल युवा केन्द्र पर अपना नामांकन कराकर अपना प्रशिक्षण नये सिरे से प्रारंभ कर सकें । वित्त प्रभाग, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे पुपरी तथा बाजपट्टी पर नामांकित सभी छात्रों का जिनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है, के द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा की राशि को उनके खाते में वापस करना सुनिश्चित करें।

15. BSDC, चोरौत (सीतामढ़ी) में माह जुलाई में 19 छात्र नामांकित हैं । District Skills Manager, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार यह केन्द्र अभी संचालित है । अतः एर्जेसी M/s Zephyr Ltd. को आदेश दिया जाता है कि वे BSDC, चोरौत में नामांकित सभी छात्रों के प्रशिक्षण को माह सितम्बर में पूर्ण कराते हुए उन्हें माह अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मलित करायें, तत्पश्चात माह अक्टूबर की परीक्षा के पश्चारत BSDC, चोरौत के आवंटन को रद्द किया जाता है ।

M/s Zephyr Ltd. को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित KYP कार्यक्रम को Franchisee mode में संचालित किये जाने के आरोप में उन्हें बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित RFP में अगले पाँच वर्षो तक भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है, तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे क्रमांक 1 से 15 तक दिये गये आदेश का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराते हुए उन्हें परीक्षा में सम्मलित कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी । माह अक्टूबर की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को पूर्णतया रद्द माना जायेगा । एर्जेसी M/s Zephyr Ltd. को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से बंद किये गये केन्द्रों के सभी सामग्रियों को एक सप्ताह के अंदर तथा जिन केन्द्रों पर माह अक्टूबर में परीक्षा आयोजित करायी जानी है वहाँ माह अक्टूबर के परीक्षा के पश्चात एक सप्ताह के भीतर सभी केन्द्रों पर अधिष्ठापित अपने सभी सामग्रियों को हटाते हुए संबंधित भवन का प्रभार राज्य सरकार द्वारा अधिष्ठापित सभी संयंत्रों तथा उपकरणों के साथ संबंधित प्रखंड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे । M/s Zephyr Ltd. को भुगतान की गयी राशि की वसूली के संबंध में समीक्षोपरान्त अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/RFP-40/2016 – 735 पटना,दिनांक– 18/9/2017

प्रतिलिपि–(1) Group Director,M/s Zephyr Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ Manager, Finance & Accounts, BSDM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(4) सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । जिला पदाधिकारी सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, किशनगंज तथा औरंगाबाद से अनुरोध है कि वे इन भवनों का प्रभार संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

(5) संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, NSDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/17

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।